नषाबंदी कार्यक्रम

मद्यनिषेध योजना का हस्तांतरण सन् 1971–72 में आबकारी विभाग से सामाजिक न्याय विभाग को किया गया हैं, तब से विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा हैं। मध्यप्रदेष शासन, सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा कार्य (आवंटन) नियमों में यह कार्य सामाजिक न्याय विभाग को 20 अगस्त 1993 में सौपा गया हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित नषाबंदी योजना मूलतः प्रचार प्रसार की है। स्वैच्छिक संस्थाओ के माध्यम से नुक्कड नाटक, रैली, संगोष्ठी, प्रष्नमंच, वाद विवाद, चित्रकला,निबंध लेखन, लोक नाटय लेखन, नारे प्रतियोगिताएँ व पोस्टर, पम्पलेट फोल्डर आदि साहित्य एवं कलापथक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार प्रसार के कार्यक्रम आयोजित कर, नषाबंदी के पक्ष में जनमत निर्माण का कार्य किया जा रहा है । इस योजना में मदिरा दुकान बंद करने के लिए हस्तक्षर अभियान, व्यसनमुक्ति लोक चेतना अभियान, पाठ्य पुस्तकों में नषामुक्ति पाठयक्रम, स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकत्ताओं का नषामुक्ति के लिये प्रषिक्षण कार्यक्रम, गोकुल गॉवों में नषामुक्ति के लिए प्रचार प्रसार कार्यक्रम किये जा रहे हैं।